...और ...ख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

7/9/21

परिवादी अनुपस्थित।

सिया देवी, डीलर उपस्थित।

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चौपारण उपस्थित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग का प्रतिवेदन प्राप्त।

सिया देवी, डीलर द्वारा लिखित बयान दिया गया है कि शिकायतकर्ता सुखनी देवी, ग्राम–दैहर उनके कार्डधारी नहीं है और न ही इनके द्वारा मुझसे ~~कभी~~ कभी राशन लिया गया है। आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर किसी अन्य व्यक्ति का है। यह भी उल्लेखित है कि प्रत्येक माह कार्डधारियों को निर्धारित मात्रा में अनाज की आपूर्ति की जाती है। साथ ही साथ पर्ची भी दिया जाता है।

प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चौपारण द्वारा लिखित बयान दिया गया है कि जन वितरण प्रणाली वितरक सिया देवी (अनुज्ञप्ति संख्या–04/2010) के पास सुखनी देवी के नाम का कोई कार्डधारी नहीं है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सुखनी देवी के नाम से शिकायत किया गया है।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग के पत्रांक 1141/आ0 दिनांक 27.09.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सिया देवी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता लाईसेंस नं0–04/10 गाम–दैहर, प्रखण्ड–चौपारण को कड़ी चेतावनी के साथ अनुज्ञन्ति निलंबनमुक्त किया गया है।

उक्त के आलोक में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

27/09/21

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
–सह–
अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।